## FORM - P. GD. C.A. [ See rule 73(1) (iii) ]

## **Application in respect of Goods Carriers permit**

To, The Member Secretary, State Transport Authority, Daman & Diu

In accordance with the provisions of sections 69, 77, 79 and 80 of the Motor Vehicles Act, 1988. I, the undersigned, hereby apply for a goods carrier's permit under Section 66 of the Act, as hereinunder set out:

1.	Full nam	e of applican	t/Company				** 1. ****
tempo	01101010101010	(РГРРБ)		(Surname	ן און דוד ווייייייייייייייייייייייייייייייי	क्ष्यमी का	1. टावेदन
2.	Age	(Name)			Husband's Name)		······································
			***************************************			Road/Lane	
******	••••••	***************************************			Name of L	ocality	1929 £
		Т	own/City	••••••	F1399 Pir	١	
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T					
4.	The natu	re of goods					Children in Scattle ave a prantition.
5.	Type and	d capacity of	vehicles includi	ng trailer and	d alternative trail	ers of articula	ited vehicles
	o, of hicles	Туре	Load	Laden	Registration Mark	Over all length	Width
- 6	1	2	3	•	5	6	0

- Note: (1) If any of the vehicles are not in the possession of the applicant it will suffice if the Figures in column (3) and (4) are correct within ten per cent. Above or below subject to any limitation of weight in force. The certificate of registration must be presented to the Transport Authority so that the registration marks may be presented to the Transport Authority so that the registration marks may be entered in the permit before the permit is issued.
- (2) If the application in respect of a larger number of vehicles than can be specified above an additional schedule may be appended to the form.

दे पहले में बाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करूंगा।

- Particulars of any good carrier's period any state and held by the Applicant which has been subject of any order of suspension or Cancellation.
- 7. I forward herewith the certificate of registration of the vehicles or I will produce the certificate of registration of the vehicles before the permit is issued.

## प्रपत्र-पी. जीडी. सी.ए. [नियम- 73(1) (iii) देखें ]

## मालवाहन परमिट से संबंधित आवेदन

सेवा में,

सदस्य सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, दमण एवं दीव

Ŧ	ोटर वाहन अधिनियम,	1988 की धारा-	69, 77, 79 ए	वं 80 के प्र	ावधानों :	के अनुसार
मैं अधोह	स्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त	अधिनियम की	धारा-66 के	तहत माल	वाहन	परमिट के
लिए निग	नानुसार आवेदन प्रस्तुत	कर रहा हूँ:				
1. टावे	दक/कंपनी का पूरा ना	म	5)	(उ	पनाम)	TERSIT INC.

1	रावेटक (कंगरी का परा राम	ульяного ульянды жа энып т.ч (उपनाम)	
1.	. टावदवर क्या का दूरा नाम		203
	(नाम) <sup>(अग्रद्धा र काइव्यास</sup>	(पिता/पति का नाम)	
2.	. ਤਸ਼	38.4	
3.	. संपूर्ण पता मकान सं	सड़क∕गली सड़क∕गली	
	120000000000000000000000000000000000000		•••
	शहर	पिन कोड	
	दूरभाष सं	1 as Aguire of goods progressed to be canned	Į.
4.	l. वाहन किये जानेवाले प्रस्तावित माल	ना प्रकार	
5.	<ol> <li>संयोजक वाहन का अनुयान एवं वैका</li> </ol>	ल्पक अनुयानों सहित वाहन का प्रकार एवं क्षमता :	

वाहनों की संख्या	प्रकार	भार क्षमता	भारीज वजन	पजीयन चिन्ह	समग्र लंबाई	चौड़ाई
0	2	3	<b>(4)</b>	6	6	0
			Q11			
				1		

- नोट: (1) यदि कोई वाहन पर प्रार्थी के अधिकर में नहीं है, तो कॉलम (3) एवं (4) के आँकड़े दस प्रतिशत तक होना पर्याप्त होगा। ऊपर अथवा नीचे प्रयोग में आ रहे कोई मर्यादित वजन, पंजीकरण प्रमाणपत्र परिवहन प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि परिमट जारी करने से पहले पंजीयन चिन्ह को परिमट में दर्ज किया जा सके।
- (2) यिद आवेदन वड़ी वाहनों के लिए हैं, जिन्हें ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, ता इसके लिए फार्म में अतिरिक्त अनुसूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न की जाए।
- 6. किसी भी राज्य में किसी मालवाहक वाहन की अवधि और प्रार्थी द्वारा धारित परिमट, जो निलंबन या निरसन आदेश के अध्यधीन रहा हो, का भी विवरण दें ......
- मैं इसके साथ वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ अथवा परिमट जारी करने से पहले मैं वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करूँगा।

.....

-	8. निवासित एवं विशेष अवसरों के समय सेवा के प्रबंधन के लिए आरक्षित रखे गए व
8.	Number of vehicles kept in reserve to maintain in the service regular and to provide for special occassions
9.	Arrangements made for housing and repairs of vehicles (to be given in details)
	A LINE ALL AND ASSESSED OF THE SECOND
10.	Arrangements made for convenience and comfort of passengers
11.	Arrangements made for storage and safe custody of luggage
12.	Particulars of any stage or contract carriage permit valid in the State, held by the applicant
	s for fixed making 6, made madely for fixed is prove for fixed to provide all
13.	Particulars of any permit held by the applicant in respect of the any transport vehicle in any other State.
14.	Whether any of the permits stated above has been subject of an order of suspension or cancellation in last four years. If so, give details.
15.	Provided that sufficient passenger do not offer at any time. I desire to carry goods in these vehicles in addition to passengers on the understanding that goods will be so carried on not more than of the vehicle trips on any route on any one day and that not more than
16.	I declare then not more than of these vehicle are or will be the subject of permits (other then temporary permits) for the use as contract carriage.
17.	I am at presention possession ofvehicles available for use under the permit applied for.
18.	I hereby declare that the above statement are true and agree that they shall be condition of any permit issued to me.
	THE THE THE THE THE PROPERTY OF AUTHORS.
	ed: Signature or Thumb Impression of applicant
	(To be filled in the office of the Transport Authority)
14 35 7	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
1.	
2.	Amount of rupees
3.	Granted in modified from on the
4.	Number of permits issued
5.	Serial No. of permit/permits issued

स्चिव पीरवहन अधिकारी

Secretary
Transport Authority

8.	नियमित एवं विशेष अवसरों के समय सेवा के प्रबंधन के लिए आरक्षित रखे गए वाहनों
9.	8. Mumber of vehicles kept in reserve to maintain in the service regular and to it कि ब
(2016	वहनों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु किये गये प्रबंध। (ब्यौरा दें)
10.	यात्रियों की सुविधा एवं आराम हेतु किये गये प्रबंध।
11.	समानों के भंडारण एवं सुरक्षित रखरखाव के लिए किये गए प्रबंध।
12.	आवेदक द्वारा राज्य में धारित किसी भी वैध स्टेज या कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परिमट का ब्यौरा।
13.	आवेदक द्वारा किसी भी राज्य में किसी भी परिवहन वाहन से संबंधित किसी भी धारित परिमट का ब्यौरा।
14.	क्या ऊपर वर्णित किसी परिमट में से कोई भी परिमट पिछले चार वर्षों से निलंबन या निरसन आदेश के अधीन है ? यदि हॉ तो उसका ब्यौरा दें।
15.	किसी भी समय वाहन में समुचित रूप से बैठे यात्रियों को परेशानी न होने की शर्त पर मैं इन वाहनों में यात्री सहित सामानों का भी वाहन करने हेतु अनुमित चाहता हूँ एवं यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी दिन किसी भी मार्ग से सामानो का वाहन
	की ट्रिप से अधिक वाहन नहीं किया जायेगा एवं किसी भी वाहन में जगह या यात्रियों की सीटों को छोड़कर से अधिक सामानों को प्रतिस्थापित नहीं किए जाऐंगे।
	मैं यह घोषणा करता हूँ कि कॉण्ट्रेक्ट कैरिज के तौर पर उपयोग के लिए संख्या से ज्यादा संख्यक वाहन हेतु परिमट (अस्थाई परिमटों को छोडकर) नहीं ली जाएगी। मेरे अधिकार में वर्तमान वाहन हैं, जिन्हें चलाने के लिए परिमट हेतु आवेदन
18.	किया जाता है। मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है एवं परिमट जारी करने के साथ सभी शर्तें मानने के लिए मैं सहमत हूँ।
दिन	of any pemilt fisued to ind.
	न : आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	(परिवाहन प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)
	प्राप्ति तिथि : (प्राप्तकामध्य stogenes) क्रिक क्षेत्र के क्ष्मिक क्षा का bellift ed क्ष
2.	पावती सं दिनांक के तहत कुल राशि रूपये प्राप्त की गई।
3.	स्वीकृत/अस्वीकृत दिनांक को संशोधित रूप मे स्वीकृत किया गया।
4.	जारी किये गये परमिटों की संक्ष का का किये हात्रीक्ष का किया किया किया किया किया किया किया क
5.	जारी किये गये परमिट/परमिटों की क्रमांकं क्रमांकं का कार्य का कार्य का कार्य का कार्य कार्य कार्य कार्य का

स्चिव परिवहन अधिकारी